

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

फॉर्म-3/30श्री0-4/ 25629-38

/2020-21

दिनांक: 18.12.2020

प्रबन्धक,

जुगत देवी सरस्वती विद्या मन्दिर,

प्लॉट नं०-4, दौनदयाल नगर, कानपुर नगर।

विषय— नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

राजनादेश सं०-89/असस-3-2018-2341/2318 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं राजनादेश संख्या-196/असस-3-2020-2341/2318 दिनांक 29 जून 2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जंच अधिकारी के निर्देशानुसार उपलब्ध कराई गयी निर्देशण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18-12-2020 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं जुगत देवी सरस्वती विद्या मन्दिर, प्लॉट नं०-4, दौनदयाल नगर, कानपुर नगर को B से कक्षा 8 तक के लिये अंग्रेजी माध्यम औपचारिक (अस्थायी) मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है—

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्याप्त मान्यता/संचालन करने के लिये कोई रायता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (संबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (संबंध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आवा-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुकिया विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके मृत हो जाने तक उपलब्ध करेगा।
- 4-11-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिवृत्त किया जायेगा। ऐसी प्रतिवृत्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी / विद्यालय किसी कंटेनेरेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सूदूर न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-18 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 26 के अधीन अधिकृत किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:सततता अस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायगा।
 - vi. अध्यापकों को गती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकृत सन्ततम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्तियागों को बनाये रखेगा। अधिनियम के ताम्य रिपोर्ट की गई प्रसूतियायें निम्नानुसार हैं—

| क्र.सं. | विद्यालय में उपलब्ध प्रसूतियायें | वैयर्थ्य |
|---------|--|-----------------------------|
| 1 | विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | 3924.11 वर्ग मीटर |
| 2 | कुल निर्मित क्षेत्र | 2322.11 वर्ग मीटर |
| 3 | क्रौडा स्थल का क्षेत्रफल | - |
| 4 | कक्षाओं की संख्या | 5 |
| 5 | प्रधानाध्यापक सह कार्यालय- राज मण्डलानगर के लिये कक्षा | 2 |
| 6 | बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय | 2/2 |
| 7 | पेय जल सुविधा | सामग्रीसिद्ध रूप उपलब्ध है। |
| 8 | बाधा रहित पहुँच | बाधा रहित पहुँच उपलब्ध है। |
| 9 | अध्यापक पत्र सामग्री/क्रौडा स्थल-कुल उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता | उपलब्ध है। |

3/11

Ramesh Kumar

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
- 10- विद्यालय मकानों या संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाना है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं की किसी वार्षिक एकाउंटेंट द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये। और उससे द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपका विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0210 स्कूल-अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम/2020-21/17 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बालिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षा हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्रधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कगियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

— ६२ —
(का0 पवन कुमार तिवारी)
जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पू0सं0/प्र0श्रे0लि0-4/25029-38 /2020-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (बै0)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2- सचिव बालिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मन्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बै0)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अल्पसंख्याक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़े वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संबन्धित श्रेण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।

(का0 पवन कुमार तिवारी)
जिला बालिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।